राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रंमाक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/96/पार्ट जयपुर, दिनांक: 13.01.2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–राज्य सरकार के अधीन की सेवाओं/पदों पर महिलाओं को आरक्षण के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में यह प्रावधान किया हुआ है कि सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से (कुल पदों का) 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए, 2 प्रतिशत विछिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह–महिलाओं से या इसका उल्टा (vice-versa) भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि महिलाओं हेतु यह आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रकृति का होगा।

जहॉ तक क्षैतिज आरक्षण का प्रश्न है इसमें संबंधित वर्ग के लिए क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में उस वर्ग के लिए निर्धारित समस्त सीटों के लिए मैरिट के आधार पर सूची तैयार की जानी चाहियें, उसमें जितनी महिला अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चयनित हुई हो, उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रति गिना जाना चाहिए। इस प्रकार मैरिट के आधार पर तैयार सूची में महिलाओं की संख्या यदि उनके लिए आरक्षित सीटों से कम हो तो जितनी संख्या कम है उतने ही अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर तैयार सूची में से सबसे नीचे से कम किये जाकर उनके स्थान पर उस वर्ग की शेष महिला अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर चयनित की जानी चाहिए।

हाल ही में, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के निर्णय दिनांक 16.07.15 (डी.बी. सिविल. स्पेशल अपील रिट नं0 868/2013–राज्य बनाम लक्ष्मीकॅवर एवं अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाऐं) में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी की महिला से अधिक अंक प्राप्त करनें पर ऐसी महिला का अनारक्षित पद के विरूद्व

चयन किया जाना सही है अर्थात महिलाओं के मामलें में भी पुरूषों की ही भॉति (परिपत्र दिनांक 04.03.2014 का संदर्भ लें) अनारक्षित कट ऑफ से ऊपर अंक लाने वाली आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अनारक्षित वर्ग के महिलाओं हेतु आरक्षित पदों पर समायोजित किया जाना चाहिए, न कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्व। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त मत को मान्य करते हुए, निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

तदनुसार, इस विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2007 के अतिक्रमण में अब यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गो से संबंधित महिला अभ्यर्थियों (मय विधवा एवं विवाह विछिन्न महिला के) को उपलब्ध आयु और फीस संबंधी रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है, तो अनारक्षित वर्ग की अन्तिम महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करनें की स्थिति में उनका चयन अनारक्षित पदो के विरूद्व किया जावेगा। उसके पश्चात आरक्षित वर्ग की शेष महिलाओं के, उनके प्रवर्गानुसार आरक्षित पदों के विरूद्व चयन पर विचार किया जावेगा।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारी आगे से रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी करते समय एवं चयन सूची बनाते समय उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। किन्तु, ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं, उन्हें पुनः नही खोंला जावेगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/ निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

4/2016

circular - 9